I.L.R. Punjab and Haryana (1986)2

न्यायाधीश के. एस. तिवाना और एस. एस. दीवान

भगवान और एक अन्य - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य - उत्तरदाता।

आपराधिक संशोधन सं 1558 सन् 1983

17 मई, 1985

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम (1958 का XX)-धारा 3,4,5 और 6-भारतीय दंड संहिता (1860 का XLV)-धारा 53-दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का II)-धारा 357,360,421 और 422-अभियुक्त परिवीक्षा पर रिहा किया गया-न्यायालय-क्या ऐसे अभियुक्त को पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने का निर्देश दिया जा सकता है-शर्तें 'जुर्माना' और 'मुआवजा'-चाहे पर्यायवाची-अधिनियम की धारा 4 या 6 के तहत व्यवहार किया गया व्यक्ति-ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगाना-चाहे वह अधिनियम की नीति के खिलाफ हो।

अभिनिर्णित - सजा का वर्णन भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में किया गया है और जुर्माना इसका हिस्सा है। जुर्माना एक अपराध के लिए दंड या आर्थिक दंड के रूप में तय की गई राशि है। अपराध। जब भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य आपराधिक कानून के तहत किसी अपराध के लिए जुर्माना लगाया जाता है, तो यह हमेशा जुर्माने के भुगतान में चूक का ध्यान रखता है, जिससे जुर्माना देने में विफल रहने पर व्यक्ति को जेल में कैद की सजा दी जाती है।
इस प्रकार, जुर्माना एक सजा है। दूसरी ओर मुआवजा, हालांकि एक सजा है, इसका अलग और विशिष्ट आधार है और प्रतिशोधात्मक है। यहां तक कि परिवीक्षा में भी आदेश की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में कारावास का तत्व पाया जाता है। मुआवजे के भुगतान में चूक के लिए ऐसा कोई जुर्माना नहीं है। अधिनियम के उद्देश्य और कारण इस बात पर भी जोर देते हैं कि 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के कारावास पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम की इस नीति के अनुरूप है कि धारा 6 को धारा 5 के दायरे से बाहर रखा गया है। धारा 3 के तहत चेतावनी देने और अधिनियम की धारा 4 के तहत आस्थगित दंड देने के बाद रिहा करते समय, अदालतों को अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित अपराध के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए प्रतिशोधात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के रूप में मौजूद है, जहां मुआवजे और लागत का भुगतान जुर्माने से किया जाना है, जो सजा का एक हिस्सा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत जुर्माने से मुआवजे का भुगतान अधिनियम की धारा 5 (1) के प्रावधान के समान नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत जुर्माना सबसे पहले लगाया जाना है और मुआवजे का भुगतान किया जाना है, जबकि अधिनियम के तहत ऐसा नहीं है। अदालतों द्वारा मुकदमे के बाद आपराधिक अदालतों द्वारा अपराध के लिए अभ्यारोपित व्यक्तियों के यातनापूर्ण कृत्यों के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत मुआवजा दिया जाता है। यह हमेशा पीड़ित या अपराध के परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों को पीड़ा, संपत्ति की हानि, मुकदमेबाजी के खर्च आदि की क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है।

जुर्माने के मामले के विपरीत, मुआवजे के भुगतान में चूक करने वाले व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता है। अधिनियम की धारा 5, जो मुआवजे का प्रावधान करती है, निर्देश देती है कि हर्जाने के मामले की सुनवाई करने वाला कोई भी दीवानी अदालत अपराध के पीड़ित को दी गई राशि को ध्यान में रखेगा। यह इंगित करता है कि आरोपित अपराध के दोषी पाए गए अपराधियों के यातनापूर्ण कृत्यों के लिए अपराध के पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश नागरिक दायित्व के लिए है। इस प्रकार, जुर्माना और मुआवजा, हालांकि सजा का एक हिस्सा है, की बराबरी नहीं की जा सकती है और न ही इसे पर्यायवाची कहा जा सकता है। कारावास की सजा पारित करने के खिलाफ अधिनियम द्वारा एक निषेधाज्ञा अधिनियमित की जाती है, जिसे सामान्य परिस्थितियों और कानून के तहत न्यायालय को पारित करने का अधिकार या आदेश दिया जाता है।
अधिनियम की धारा 5 'जुर्माने' और 'मुआवजे' के बीच अंतर करती है और इसका उद्देश्य अपराध के पीड़ितों को चोटों, संपत्ति के बेदखल होने या आपराधिक मुकदमेबाजी आदि को आगे बढ़ाने में शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा किए गए खर्चों के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना है। इस प्रकार 'जुर्माना' और 'क्षतिपूर्ति' के बीच स्पष्ट अंतर है। उनकी बराबरी नहीं की जा सकती। 'जुर्माने' के रूप में मुआवजे की वसूली का तरीका इसे जुर्माने के स्तर पर नहीं लाता है। परिणाम यह है कि अधिनियम की धारा 5 के तहत दिया गया मुआवजा जुर्माना नहीं है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रिहा करते समय, अदालत उसे पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने का आदेश दे सकती है।

(पैरा 7&9)

अभिनिर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन दंड अधिरोपित करना अधिनियम की नीति के विरुद्ध है जैसा कि प्रस्तावना और अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों में निहित है। परिवीक्षा एक आस्थगित दंड है और यदि परिवीक्षा की अनुमति देने के लिए धारा 4 में दी गई परिस्थितियाँ मौजूद हैं, तो अपराध के लिए अभ्यारोपित व्यक्ति को तुरंत जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। यदि परिवीक्षा के आदेश के साथ जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माना नहीं दिया जाता है, तो परिवीक्षा देने वाले आदेश को अस्वीकार कर दिया जाता है। जुर्माने के भुगतान में विफलता, जब तक कि इसे लागू करने वाली अदालत निर्धारित शर्तों के लिए अपने भुगतान को स्थगित नहीं करती है, इसके चूक के लिए सजा के तत्काल संचालन की ओर ले जाती है। अभियुक्त व्यक्ति को जुर्माने का भुगतान न करने के लिए दी गई सजा काटने के लिए जेल जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 4 और 6 को लागू नहीं किया जा सकता है और इन प्रावधानों का उद्देश्य विफल होने की संभावना है। इस प्रकार, एक आदेश में अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत आदेश के साथ जुर्माना लगाना अधिनियम की भावना के साथ असंगत है।

(पैरा 10)

साही राम बनाम हरियाणा राज्य, 1983 (2) चंडीगढ़ लॉ रिपोर्टर, 555. ओवर-नियंत्रित।
माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा की एकल पीठ द्वारा 16 जुलाई, 1984 को विधि के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में निर्दिष्ट किया गया मामला इस मामले में शामिल था। माननीय न्यायमूर्ति श्री के. एस. तिवाना और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एस. दीवान की खंडपीठ ने 17 मई, 1985 को मामले का फैसला सुनाया।
धारा 401 Cr.P.C के तहत याचिका। (क) श्री आर. डी. अनेजा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव, दिनांक 16 सितंबर, 1983 के न्यायालय के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, जिसमें श्री बी. के. अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गुड़गांव, दिनांक 31 मई, 1983/9 जून, 1983 के न्यायालय के आदेश में संशोधन किया गया है.

आर. एस. सिहोटा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं की ओर से।
आर. के. झिंगन, अधिवक्ता, A.G., हरियाणा।

न्यायाधीश के. एस. तिवाना,

1) भगभगवंद और सतबीर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गुड़गांव, श्री बी. के. अग्रवाल को दोषी ठहराया। उनमें से प्रत्येक को छह महीने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 500। अपील पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया और उन्हें 5 लाख रुपये की राशि के व्यक्तिगत और जमानत बांड निष्पादित करने पर परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। 2, 000 प्रत्येक को दो साल की अवधि के लिए शांति बनाए रखने और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए। उनमें से प्रत्येक को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। घायल शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 500 रुपये।
2. याचिकाकर्ताओं ने यह आपराधिक संशोधन याचिका दायर की है विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष इस न्यायालय द्वारा विनिश्चय किए गए दो मामले, साही राम बनाम हरियाणा राज्य (1) और गुरबचन सिंह बनाम (1) 1983 (2) च। लॉ रिपोर्टर 555. पंजाब राज्य (2) का उल्लेख किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के एकल पीठ के निर्णयों की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया और कहाः-"विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, जिन्होंने इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाया, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से एक न्यायालय को पीड़ित को मुआवजा देने का अधिकार देती है। क्षतिपूर्ति के अनुदान को जुर्माना लगाने के बराबर नहीं माना जा सकता है। यहां तक कि जब किसी व्यक्ति को परिवीक्षा पर रिहा किया जाता है, तो उसे शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए एक बांड निष्पादित करना पड़ता है और यदि वह बांड की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो उसे उस पर लगाई गई सजा काटनी होती है।
हालांकि, एकल पीठ में बैठने के दौरान, मैं इस मामले पर आगे विस्तार करने का प्रस्ताव नहीं करता। कानून के प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं आदेश देता हूं कि मामले में शामिल कानून के बिंदु के निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ का गठन करने के लिए कागजात माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं।

इन टिप्पणियों के साथ, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक बड़ी पीठ द्वारा इस प्रश्न पर विचार करने की सिफारिश की।
3. परिवीक्षा 3 का अपराधी अधिनियम, 5,1958, जिसे बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, की प्रस्तावना हैः-"अपराधी को परिवीक्षा पर या उचित चेतावनी के बाद और उससे जुड़े मामलों के लिए रिहा करने का प्रावधान करने वाला एक अधिनियम"।

इस अधिनियम के उद्देश्य और कारण हैंः-"कुछ निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में चेतावनी के बाद किसी अपराधी को रिहा करने के लिए न्यायालयों को सशक्त बनाना। अदालतों को सभी उपयुक्त मामलों में परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है, एक अपराधी जिसे ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के संबंध में, उनके कारावास पर प्रतिबंध लगाते हुए विशेष प्रावधान किया गया है।

परिवीक्षा अवधि के दौरान, अपराधी परिवीक्षा अधिकारियों की देखरेख में रहेंगे ताकि उनमें सुधार किया जा सके और वे समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें।
4. मुख्य रुप से अधिनियम की धाराओं पर विचार करना। ये निम्नानुसार हैंः-"3. चेतावनी देने के बाद कुछ अपराधियों को रिहा करने की अदालत की शक्ति।जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 379 या धारा 380 या धारा 381 या भारतीय दंड संहिता की धारा 404 या धारा 420 (आई 860 की धारा 45) के अधीन दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन दो वर्ष से अधिक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि सिद्ध नहीं होती है और जिस न्यायालय द्वारा वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसकी राय है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना समीचीन है, तब, उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे किसी दंड की सजा देने या धारा 4 के अधीन अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने के बजाय उसे उचित चेतावनी देने के पश्चात् रिहा कर सकता है।
स्पष्टीकरणः-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि में इस धारा या धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई पूर्व आदेश सम्मिलित होगा।

5. कुछ अपराधियों को परिवीक्षा पर रिहा करने की अदालत की शक्ति।- (1) जब दोषी व्यक्ति को मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं पाया जाता है और अदालत जिसके द्वारा व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, की राय है कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है, तो, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद, अदालत, उसे तुरंत किसी भी सजा के लिए सजा सुनाने के बजाय, निर्देश दे सकती है कि उसे जमानत के साथ या उसके बिना, ऐसी अवधि के दौरान बुलाए जाने पर, तीन साल से अधिक नहीं, जब अदालत निर्देश दे, पेश होने और सजा प्राप्त करने के लिए, और इस बीच शांति बनाए रखने के लिए।
बशर्ते कि अदालत किसी अपराधी की ऐसी रिहाई का निर्देश तब तक नहीं देगी जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि अपराधी या उसकी जमानत, यदि कोई हो, का उस स्थान पर निवास या नियमित व्यवसाय का एक निश्चित स्थान है जिस पर अदालत अधिकारिता का प्रयोग करती है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जिसके लिए वह बांड में प्रवेश करता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन कोेइ आदेश करने से पूर्व न्यायालय मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोेइ हो, पर विचार करेगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, तो न्यायालय, यदि उसकी राय है कि अपराधी और जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है, तो इसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकता है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि अपराधी आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, ऐसी अवधि के दौरान आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रहेगा, जो एक वर्ष से कम नहीं है और ऐसा अतिरिक्त आदेश ऐसी शर्तें अधिरोपित करता है जो वह अपराधी के उचित पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी से अपेक्षा करेगा कि वह रिहा होने से पूर्व प्रतिभू के साथ या उसके बिना, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों और निवास, मादक पदार्थों से अनुपस्थिति या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का पालन करे जो न्यायालय, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसी अपराध की पुनरावृत्ति या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के करने को रोकने के लिए अधिरोपित करना उचित समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश देने वाला न्यायालय अपराधी को आदेश के नियमों और शर्तों की व्याख्या करेगा और प्रत्येक अपराधी, प्रतिभू, यदि कोई हो, और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति तुरंत प्रस्तुत करेगा।

(6) रिहा किए गए अपराधियों से मुआवजे का भुगतान करने की अपेक्षा करने की अदालत की शक्ति और इसके कारणः- (1) धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराधी की रिहाई का निदेश देने वाला न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो उसी समय एम. एम. को भुगतान करने का निर्देश देने वाला एक सहायक आदेश दे सकता है-(क) ऐसा मुआवजा जो न्यायालय अपराध के कारण किसी व्यक्ति को उचित नुकसान या चोट समझता है; और (ख) कार्यवाहियों की ऐसी लागत जो न्यायालय उचित समझता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन संदत्त किए जाने का आदेश दी गई रकम संहिता की धारा 386 और 387 के उपबंधों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकती है।
अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है, हर्जाना देने में उपधारा (1) के तहत मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूली गई किसी भी राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

6) वानर के इक्कीस वर्ष के तहत अपराधियों के कारावास पर प्रतिबंधः—(1) जब इक्कीस वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति कारावास (लेकिन आजीवन कारावास से नहीं) से दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो न्यायालय जिसके द्वारा व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसे कारावास की सजा नहीं देगा, जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, धारा 3 या धारा 4 के तहत उसके साथ व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, और यदि अदालत अपराधी को कारावास की कोई सजा देती है, तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगी।
2) स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कि क्या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराधी के साथ धारा 3 या धारा 4 के अधीन व्यवहार करना वांछनीय नहीं होगा, न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा और अपराधी के चरित्र और शारीरिक और मानसिक स्थितियों से संबंधित रिपोर्ट, यदि कोई हो, और उसके पास उपलब्ध किसी अन्य जानकारी पर विचार करेगा।
(5) जैसा कि स्पष्ट है, धारा 3 केवल उसमें निर्दिष्ट अपराधों के लिए आरोपित और दोषी ठहराए गए अपराधियों को चेतावनी देने से संबंधित है।
धारा 4 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को उसकी उम्र के बावजूद परिवीक्षा का लाभ देने का प्रावधान है, यदि अदालत की राय में उस मामले की परिस्थितियों में उसे परिवीक्षा पर रिहा करना समीचीन है। धारा 6 केवल उन व्यक्तियों से संबंधित है जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और वे उन अपराधों के दोषी पाए जाते हैं जो आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हैं। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अधिनियम की धारा 3 और

4 के प्रावधान केवल उम्र की किसी सीमा के बिना उसमें निर्दिष्ट अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के मामलों पर लागू होते हैं, जबकि धारा 6 अलग है और अदालतों को विवेकाधिकार देती है कि वे दोषी व्यक्तियों को परिवीक्षा की अनुमति दें यदि वे प्रासंगिक तिथि पर केवल 21 वर्ष से कम आयु के हों।

(6) धारा 5, जो अदालत को मुआवजे और लागत के भुगतान का निर्देश देने का अधिकार देती है, उसके दायरे में केवल धारा 3 और 4 आती है। इसमें धारा 6 शामिल नहीं है। यह बहिष्करण आकस्मिक या निरीक्षण के कारण नहीं है। यह जानबूझकर किया गया है। इस बहिष्कार का एक कारण यह प्रतीत होता है कि 21 वर्ष से कम आयु के युवा अपराधी अच्छी वित्तीय स्थिति में नहीं हो सकते हैं या उनके पास मुआवजे या लागत का भुगतान करने के लिए धन जुटाने का साधन नहीं हो सकता है, जो कुछ मामलों में काफी पर्याप्त और भारी हो सकता है। इस प्रकार धारा 5 उन अपराधियों के मामलों को शामिल नहीं करती है, जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिन पर अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित प्रकार की लागत का बोझ है।

(7) इस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न यह है कि क्या 'जुर्माना' और 'क्षतिपूर्ति' दोनों शब्दों को एक-दूसरे के बराबर किया जा सकता है और समानार्थी के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में दंड का वर्णन किया गया है और जुर्माना इसका हिस्सा है। जुर्माना एक अपराध के लिए दंड या एक अपराध के लिए आर्थिक दंड के रूप में तय की गई राशि है। जब भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य आपराधिक कानून के तहत किसी अपराध के लिए जुर्माना लगाया जाता है, तो यह हमेशा जुर्माने के भुगतान में चूक का ध्यान रखता है, जिससे जुर्माना देने में विफल रहने पर व्यक्ति को जेल में कैद की सजा दी जाती है। जुर्माना एक सजा है।

दूसरी ओर मुआवजा, हालांकि एक सजा है, इसका अलग और विशिष्ट रूप है और प्रतिशोधात्मक है। यहां तक कि परिवीक्षा में भी आदेश की किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में कारावास का तत्व पाया जाता है। मुआवजे के भुगतान में चूक के लिए ऐसा कोई जुर्माना नहीं है।

अधिनियम के उद्देश्य और कारण इस बात पर भी जोर देते हैं कि 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों के कारावास पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम की इस नीति के अनुरूप है कि धारा 6 को धारा 5 के दायरे से बाहर रखा गया है। चेतावनी के बाद रिहा करते समय धारा 3 के तहत और अधिनियम की धारा 4 के तहत आस्थगित दंड प्रदान करते हुए, अदालतों को अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित अपराध के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए प्रतिशोधात्मक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। कुछ हद तक समान प्रावधान, जैसा कि अधिनियम की धारा 5 है, दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 357 के रूप में मौजूद है, जहां मुआवजे और लागत का भुगतान जुर्माने से किया जाना है, जो सजा का एक हिस्सा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत जुर्माने के मुआवजे का भुगतान अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत प्रावधान के समान नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत जुर्माना सबसे पहले लगाया जाना है और मुआवजे का भुगतान किया जाना है, जबकि अधिनियम के तहत ऐसा नहीं है। अदालतों द्वारा मुकदमे के बाद आपराधिक अदालतों द्वारा अपराध के लिए अभ्यारोपित व्यक्तियों के यातनापूर्ण कृत्यों के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत मुआवजा दिया जाता है। यह हमेशा पीड़ित या अपराध के परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्ति को पीड़ा, संपत्ति की हानि, मुकदमेबाजी के खर्च आदि के लिए मुआवजा देने के लिए दिया जाता है। जुर्माने के मामले के विपरीत, मुआवजे के भुगतान में चूक करने वाले व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता है।

अधिनियम की धारा 5, जो मुआवजे का प्रावधान करती है, निर्देश देती है कि हर्जाने के मामले की सुनवाई करने वाला कोई भी दीवानी अदालत अपराध के पीड़ित को दी गई राशि को ध्यान में रखेगा। यह, हमारे विचार में, इंगित करता है कि

अभियुक्त अपराध के दोषी पाए गए अपराधियों के यातनापूर्ण कृत्यों के लिए अपराध के पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश नागरिक दायित्व के लिए हैं। इस प्रकार, जुर्माना और मुआवजा, हालांकि सजा का एक हिस्सा है, की बराबरी नहीं की जा सकती है और न ही इसे पर्यायवाची कहा जा सकता है।

(8) इस स्तर पर हम जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया पर एक नज़र डाल सकते हैं। मुआवजे की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 5 (2) में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 और 387 का उल्लेख किया गया है। ये दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के प्रावधान थे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रवर्तन के बाद, इन धाराओं को नई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 और 422 के रूप में पुनर्गठित किया गया है।
इस संशोधन में। अधिनियम लंबे समय से लंबित है और इसे अभी बनाया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 5 (2) में धारा 386 और 387 के स्थान पर संहिता की धारा 421 और 422 को पढ़ा जाना चाहिए। जुर्माने की वसूली के लिए किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 421 (3) के अनुसार दी गई परिस्थितियों में जेल नहीं भेजा जा सकता है। यह मान लेना उचित नहीं है कि मुआवजे की वसूली के प्रावधान को जुर्माने के समान माना जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो धारा 357, Cr.P.C. के तहत मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहता है, उसे तब तक जेल नहीं भेजा जा सकता है जब तक कि अदालत आदेश पारित करने में उसकी विफलता के लिए उसे हिरासत में लेने का निर्देश नहीं देती है और वह भी आदेश में निर्धारित अवधि के लिए। जुर्माने के मामले में भी जब दोषी को चूक की स्थिति में कारावास की निर्दिष्ट अवधि की सजा नहीं दी जाती है, तो उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता है।
(9) कारावास की सजा के पारित होने के विरुद्ध अधिनियम द्वारा एक निषेधाज्ञा अधिनियमित की जाती है, जिसे सामान्य परिस्थितियों और विधि के अधीन न्यायालय को पारित करने का अधिकार या आदेश दिया जाता है। अधिनियम की धारा 5 'जुर्माने' के बीच अंतर करती है और क्षतिपूर्ति और इसका उद्देश्य अपराध के परिणामस्वरूप आपराधिक मुकदमेबाजी आदि को आगे बढ़ाने में शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा चोटों, संपत्ति के बेदखल या खर्चों के कारण हुए नुकसान के लिए अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देना है। इस प्रकार 'जुर्माना' और 'क्षतिपूर्ति' के बीच स्पष्ट अंतर है। जैसा कि पहले कहा गया है, उनकी बराबरी नहीं की जा सकती है। 'जुर्माने' के रूप में मुआवजे की वसूली का तरीका इसे जुर्माने के स्तर पर नहीं लाता है। परिणाम यह है कि अधिनियम की धारा 5 के तहत दिया गया मुआवजा जुर्माना नहीं है।

(10) हम यहां यह देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन दंड अधिरोपित करना अधिनियम की नीति के विरुद्ध है जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना और अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों में निहित है। परिवीक्षा एक आस्थगित दंड है और यदि परिवीक्षा की अनुमति देने के लिए धारा 4 में दी गई परिस्थितियां मौजूद हैं, तो निर्धारित शर्तों के लिए व्यक्ति, अपराध के लिए आरोपित तत्काल ऑपरेशन की ओर जाता है, उसे तुरंत जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, यदि परिवीक्षा के आदेश के साथ जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माना का भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिवीक्षा देने वाले आदेश को नकार दिया जाता है। जुर्माने के भुगतान में विफलता, जब तक कि इसे लागू करने वाली अदालत निर्धारित शर्तों के लिए अपने भुगतान को स्थगित नहीं करती है, इसके चूक के लिए सजा के तत्काल संचालन की ओर ले जाती है। अभियुक्त व्यक्ति के पास है। जुर्माने का भुगतान न करने के लिए दी गई सजा काटने के लिए जेल जाना। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 4 और 6 को लागू नहीं किया जा सकता है और इन प्रावधानों का उद्देश्य विफल होने की

संभावना है। इशर दास बनाम पंजाब राज्य (3) इसके लिए एक प्राधिकरण है। एक आदेश में अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत आदेश के साथ जुर्माना लगाना अधिनियम की भावना के साथ असंगत है।

(3) A.I.R. 1972 S.C. 1295.

11) सही राम के मामले (ऊपर) में तथ्य और टिप्पणियां थीं:-"सही राम, याचिकाकर्ता को उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, पलवल द्वारा दोषी ठहराया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 325 के तहत अपराधों के लिए, लेकिन प्रथम अपराधी होने और रिकॉर्ड पर लाई गई कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण, उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। एक वर्ष की अवधि के लिए समान राशि में एक मुचलके के साथ 3,000। , याचिकाकर्ता को रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था। नंद लाई को मुआवजे के रूप में 300 (P.W. 5) घायल व्यक्ति और अन्य रु। अभियोजन लागत के रूप में 200। निचली अदालत के उपरोक्त फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव द्वारा खारिज कर दिया गया था, और इसलिए वर्तमान पुनरीक्षण याचिका।

2. इस पुनरीक्षण याचिका में केवल एक ही बात का आग्रह किया गया है कि कानून के तहत, जब कोई अभियुक्त व्यक्ति है। परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है, उसे घायल व्यक्ति को मुआवजा देने के उद्देश्य से या अभियोजन के खर्च के कारण जुर्माना लगाकर और दंडित नहीं किया जा सकता है। वकील ने इस तर्क के समर्थन में गुरबचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (4) पर भरोसा किया। उपर्युक्त विवाद का राज्य की ओर से खंडन नहीं किया गया है, और न ही इसके विपरीत किसी प्राधिकरण को विद्वान राज्य वकील द्वारा बार में उद्धृत किया गया है।

3. नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका इस हद तक स्वीकार की जाती है कि याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश देने वाले आदेश को बनाए रखा जाता है, लेकिन रुपये के भुगतान के लिए उसे जारी किया गया निर्देश। घायल को 300 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अभियोजन लागत के रूप में 200 अलग रखे गए हैं।

(12) नानक सिंह बनाम पंजाब राज्य (5) के एक अन्य रिपोर्ट किए गए मामले में एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया था। नानक सिंह के मामले में तथ्य और टिप्पणियां थीं:-"याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 408 और 477-ए के तहत दोषी ठहराया गया था या अपराध किया गया था। मुकदमे की सुनवाई

(4) 1977 C.L.R. (पी. बी. & हर.) 20. 1.1983 ((2) CC.L.R. 5553।

मजिस्ट्रेट ने उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसके तहत उस पर जुर्माना भी लगाया। अपील पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुरदासपुर द्वारा दोषसिद्धि को बनाए रखा गया था, लेकिन सजा के बदले में, याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया था और जुर्माने के स्थान पर जुर्माना लगाया गया था और जुर्माना के लिए भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, को कार्यवाही की लागत की ओर मोड़ने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव पीठ के समक्ष कहा कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत कोई सजा लागत के रूप में नहीं दी जा सकती है।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत अधिनिर्णय योग्य लागतों और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिनिर्णय योग्य लागतों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अधीन व्यय केवल

जुर्माने से ही दिया जा सकता है जैसा कि गिरधारी लाई बनाम पंजाब राज्य (6) में अधिनिर्णय किया गया है, जुर्माने के अधिरोपण के लिए एक दंड है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के अधीन दिए गए व्यय में ऐसा कोई दंडात्मक तत्व नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा गलत है। न्यायालय को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 (1) (ख) के अधीन व्यय अधिनिर्णय करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है।

(13) गुरी गुरबचन सिंह का मामला (उपर्युक्त) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 36। जुर्माने का भुगतान न करने के मामले में, गुरबचन सिंह को जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास की सजा काटने के लिए सीधे जेल भेजा जाना था, जो अधिनियम की नीति के खिलाफ है। गुरबचन सिंह का मामला इशेर दास बनाम पंजाब राज्य (7) के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर आधारित है क्योंकि यह केवल एक जुर्माना था और इसमें कोई मुआवजा शामिल नहीं था। साही राम के मामले में, मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था, जिसे जुर्माना नहीं माना जा सकता है। जुर्माना नहीं लगाया गया था। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें जुर्माने का भुगतान न करने के लिए, सही राम को जुर्माना का भुगतान न करने के लिए अदालत द्वारा निर्दिष्ट समय के लिए जेल भेजा जाना था। न तो इशर दास का मामला और न ही गुरबचन सिंह का मामला साही राम के मामले में लागू होता है।

(6) A.I.R. 1982 S.C. 1229.

(7) A.I.R. 1972 S.C. 1295.

इसलिए, राम का मामला सही ढंग से तय नहीं किया गया है और इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है। नानक सिंह के मामले में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जुर्माने की राशि, यदि भुगतान किया जाता है, तो मुआवजे के भुगतान की ओर मोड़ दिया। जुर्माने के अधिरोपण को सजा के रूप में दरकिनार कर दिया गया था। नानक सिंह के मामले में अधिनियम की धारा 5 (1) के प्रावधानों का सही दृष्टिकोण लिया गया है।

(14) अंदर। मामले में, मुआवजे की प्राप्ति के लिए कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं हो सकती है क्योंकि जुर्माना जो पहले से ही निचली अदालत के आदेशों के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा किया गया था, उसे मुआवजे में परिवर्तित कर दिया गया है।

(15) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, हम इस संशोधन में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
नारनौल, हरियाणा